



HAMIRPUR POLICE



थाना कुरारा

दिनांक 05.02.2024

चोरी के वांछित अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर के निर्देशन में वंचित वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 5 फरवरी 2024 को थाना कुरारा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 18/2024 धारा 380 भा0द0सं0 व बढोत्तरी धारा 411 भा0द0सं0 थाना कुरारा हमीरपुर में वांछित/फरार प्रकाश में आये अभियुक्तों को ग्राम खरौंज-बिलौटा मार्ग के मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 41/2024 धारा अन्तर्गत धारा 420/411/413/414 भा0द0सं0 व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्तगणों के कब्जे से बरामदगी का विवरण-

01 अदद मोटरसाइकिल, 02 अदद तमंचे 315 बोर नाजायज, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज व 1000/- रुपये नगद व एक जोड़ी पायल सफेद धातु

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. अभियुक्त वीरेन्द्र उर्फ कालू निषाद पुत्र रामकृपाल मूल निवासी ग्राम गोकुल का डेरा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर हालपता भगत तालाब , ठेका नंबर 03 के पास कस्बा व थाना कुरारा जनपद हमीरपुर
2. अभियुक्त ध्रुव सिंह पुत्र स्व0 रूप सिंह मूल निवासी ग्राम बरूआ बिलौटा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर हाल निवासी वार्ड नं0 04 पावर हाउस के पीछे कस्बा व थाना कुरारा जनपद हमीरपुर

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास -

मु0अ0स0 18/2024 धारा 380/411 भा0द0सं0 थाना कुरारा जनपद हमीरपुर

मु0अ0स0 41/2024 धारा धारा 420/411/413/414 भा0द0सं0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुरारा

मु0अ0स0 90/2022 धारा 394/324/411/413 भा0द0सं0 थाना कदौरा जनपद जालौन

मु0अ0स0 93/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कदौरा जनपद जालौन

मु0अ0स0 150/2022 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना कदौरा जनपद जालौन

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ०नि० राजेन्द्र प्रसाद सिंह
2. उ०नि० सचिन शर्मा
3. का० सौरभ सिंह व
4. का० मनोज गुप्ता

